# झारखण्ड शिक्षा परियोजना, खूँटी

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

नया समाहरणालय भवन, ब्लॉक–सी0, चाईबासा रोड, खूँटी – 835210

Email ID – jepkhunti@gmail.com

## नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (सी.) के अन्तर्गत 25% सीट में नामांकन से संबंधित आम–सूचना।

नि: शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (सी.) के अन्तर्गत जिले के सभी गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक छोड़कर) को सत्र 2025–26 में निम्न प्रावधान के अनुरूप 25% सीट पर नामांकन किया जाना है।

i. सत्र 2025–26 में विद्यालय की प्रवेश कक्षा में उपलब्ध सीटों की क्षमता के 25% सीट पर अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन लिया जाना है।

ii. वैसे बच्चे जो विद्यालय के 1 कि.मी. की दूरी सीमा के अधीन निवास करते हों, का नामांकन लिया जाना है। यदि इस दूरी सीमा में प्रयाप्त बच्चे उपलब्ध नही होते हैं तो 3 से 6 किमी. की दूरी सीमा में निवास करने वाले बच्चों का नामांकन लिया जा सकता है।

iii. अभिवंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40 प्रतिशत से अधिक नि: शक्ततायुक्त एवं अनाथ बच्चे तथा कमजोर वर्ग के अर्न्तगत जो अभिवंचित समूह में आते हों और जिनके परिवार की सभी स्त्रोंतो से वार्षिक आय रू. 72000/–या उससे कम हो का नामांकन लिया जाना है।

iv. नर्सरी/एलकेजी में नामांकन हेतु उम्र सीमा 3 वर्ष 6 माह से 4 वर्ष 6 माह के बीच एंव कक्षा 1 में नामांकन हेतु 6 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होगी। उम्र की गणना का Cut Off तिथि 31 मार्च 2025 होगा।

v. 25% कोटि में नामांकन हेतु कार्यालय के वेबसाइट www.jepkhunti.in पर ऑनलाईन आवेदन दिनांक 01.03.2025 से 26.03.2025 तक किया जायेगा एवं माता–पिता/अभिभावक किये गए आवेदन का प्रिंट निकालकर सभी दस्तावेजों को संलग्न एवं स्वअभिप्रमाणित करते हुए झारखण्ड शिक्षा परियोजना, खूँटी के कार्यालय में दिनांक 31.03.2025 तक अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। कोई भी गलत प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने की सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित माता–पिता/पालक/अभिभावक की होगी। माता–पिता/अभिभावकों द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन एवं अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की समुचित जाँचोपरान्त तथा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(सी.) के प्रावधानों के अनुरूप योग्य बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय में लिया जायेगा। नामांकन हेतु योग्यता एवं आवेदन करने संबंधी विस्तृत जानकारी बेवसाइट पर उपलब्ध है।

vi. जिले के गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय जहाँ 25% सीट पर बच्चों का नामांकन लिया जाना है की विवरणी निम्नवत् है :–

| क्रम सं. | विद्यालय का नाम, पता | विद्यालय की प्रवेश कक्षा, जिसपर नामांकन लिया जायेगा। | प्रवेश कक्षा में कुल नामांकन क्षमता | कुल नामांकन क्षमता का 25 प्रतिशत संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एस.एस.डी.ए.वी. सेन्टेनरी पब्लिक स्कूल, डी.ए.वी. रोड, खूँटी | NURSERY | 40 | 10 |
| 2 | कैथरीन अकादमी पेलौल, खूँटी | NURSERY | 25 | 06 |
| 3 | टी.सी.आई. डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल जम्हार, गोविन्दपुर रोड, कर्रा | NURSERY | 30 | 08 |
| 4 | चिल्ड्रेन ऑफ द न्यू डॉन, तपकरा रोड, तोरपा | ONE | 90 | 22 |

–ह0–
जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना, खूँटी।

ज्ञापांक 176 खूँटी, दिनांक 27/02/25

**प्रतिलिपि** :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त आम–सूचना का प्रकाशन जिले के सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्राकाशित कराने की कृपा करेंगे।

27/02/25

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना, खूँटी।

Scanned with OKEN Scanner